Neuwtral Citation
2023: CGHC:22109

ए.एफ.आर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 651/2007

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक:9.8.2023

निर्णय पारित करने का दिनांक :31.8.2023

1. जी. एस. देवांगन, आत्मज श्री बालमुकुंद देवांगन, आयु लगभग 59 वर्ष, व्यवसाय एसडीओ (फोन्स), निवासी बी–10, अनमोल अपार्टमेंट, गीतांजलि नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.

2. एस. सी. साध, आत्मज श्री चंपालाल साध, आयु लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय जे. टी. ओ. (फोन्स), निवासी 177, प्राइम सिटी, जिला इंदौर, म.प्र.

3. प्रमेश कुमार अग्रवाल, आत्मज श्री सुंदरलाल अग्रवाल, आयु लगभग 32 वर्ष, प्रोप्रइटर, मेसर्स इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, निवासी लिंक रोड, कैम्प नंबर 2, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

4. अजीत सिंह, आत्मज स्व. श्री पूरन सनोत्रा, आयु लगभग 58 वर्ष, भागीदार, मैसर्स इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, निवासी गुरुद्वारा के पास, कैंप नंबर 1, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

...अपीलार्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

भारत संघ द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.), रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

....उत्तरवादी

अपीलार्थीगण हेतु : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु : श्री हिमांशु पांडे, अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल)

सी.ए.वी. निर्णय

1. प्रस्तुत अपील भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'पीसी अधिनियम'), के तहत विशेष न्यायाधीश रायपुर द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण क्र. 30/2004 में पारित निर्णय दिनांक 17 /07 /2007 के खिलाफ किया गया किया था, जिसके तहत सभी अपीलार्थीगणो को सिद्धदोष किया गया है और निम्नानुसार दंडित किया गया है :

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 120–ख के तहत	2 साल का सश्रम कारावास तथा रु. 1500 /– का अर्थदंड, अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 2 मास का अतिरिक्त सश्रम कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत	2 1 /2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3,000 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 468 सहपठित धारा 471 के अधीन	2 1 /2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3,000 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के अधीन	2 1 /2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3,000 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
यह निर्देशित किया जाता है कि सभी सजायें साथ साथ चलेंगी।	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, वर्ष 1994–95 में अपीलार्थी 1 जी. एस. देवांगन को दूरसंचार विभाग, राजनाँदगाँव में एस. डी. ओ. (फोन) के रूप में पदस्थ किया गया था।

अपीलार्थी 2 एस. सी. साध को वहां जे. टी. ओ. (फोन) के रूप में पदस्थ किया गया था। अपीलार्थी 3 प्रमेश कुमार अग्रवाल मैसर्स इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स के प्रोप्रइटर थे और अपीलार्थी 4 अजीत सिंह मैसर्स इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स के भागीदार थे। अभियोजन पक्ष का आगे प्रकरण यह है कि वर्ष 1994–95 में दूरसंचार विभाग द्वारा लगभग 40 किलोमीटर के लिए भूमिगत टेलीफोन केबल बिछाने के लिए एक निविदा जारी की गई थी. अपीलकर्ता 3 और 4 की निविदा स्वीकार कर ली गई और उन्हें कार्य आदेश जारी कर दिया गया। कार्य आदेश के अनुसार, भूमिगत केबल जिसे अपीलकर्ता 3 और 4 द्वारा बिछाया जाना था के लिए गड्ढा जो 3x1 फीट होनी थी करना था। अभिकथित रूप से, सभी अपीलकर्ताओं ने एक आपराधिक षड़यंत्र किया और षड़यंत्र के तहत अपीलकर्ता 3 और 4 ने केबल के लिए गड्ढे को 3x1 फुट से घटाकर केवल 22.68 इंच कर दिया। तथापि माप पुस्तक में, उन्होंने उल्लेख किया कि गड्ढा 3x1 फीट का था। उक्त कूटरचित मापन पुस्तिका को अपीलकर्ता 1 और 2 द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था और अपीलकर्ता 3 और 4 द्वारा रुपये 3,09,240 का कूटरचित देयक भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे अपीलकर्ता 1 और 2 द्वारा भी सत्यापित किया गया था। परिणामस्वरूप, उक्त देयक को उच्च अधिकारियों द्वारा पारित कर दिया गया। इस प्रकार, अपीलकर्ता 3 और 4 को 1,92,301.20 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया और इस तरह दूरसंचार विभाग को उतनी ही राशि की हानि हुई। किसी स्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा प्रदर्श पी/19 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच व अन्वेषण के दौरान, अपीलकर्ता 3 और 4 द्वारा किए गए कार्य का भी सी. बी. आई. के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और इस संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी.11) दिनांक 13.12.1996 और निरीक्षण मेमोरेंडम (प्रदर्श पी 12) दिनांक 14.12.1996 भी तैयार किये गए थे अन्वेषण पूर्ण होने पर, अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण न्यायालय ने आरोप विरचित किया। अपने प्रकरण के समर्थन में अभियोजन ने 12 साक्षियों का परीक्षण कराया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण में, अपीलकर्ताओं ने अपराध से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया। अपीलार्थियों ने बचाव में 5 साक्षियों का परीक्षण कराया। विचारण पूर्ण होने पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया और दण्डित किया जैसा कि इस निर्णय के पहले पैरा में उल्लेखित है।अतः, यह वर्त्तमान अपील प्रस्तुत की गई है.

3.अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि, अभिलेख पर पर्याप्त और निर्णायक साक्ष्य के बिना विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी सिद्ध किया। अ.सा.–4 एस. एन. पनसे, अ.सा.–5 राम सिंह चौहान और अ.सा.–7 बी. एस. कुशवाह के कथन का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि एल–14 आरेख के आधार पर स्थल निरीक्षण किया गया था जिसका उपयोग खंभों पर फैले केबल में किया जाता है, यानी जमीन के ऊपर और उक्त निरीक्षण केबल आरेख पर आधारित नहीं था जो भूमिगत केबल हेतु किया जाता था। अतः, सी. बी. आई. की पूरी निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एल–14 आरेख के आधार पर निरीक्षण संभव नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सी. बी. आई. द्वारा किए गए निरीक्षण के समय, अपीलार्थी 3 और 4 मौके पर मौजूद नहीं थे और निरीक्षण के पश्चात भी उन्हें स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया गया था। यह आगे तर्क दिया गया कि अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि केबल को भूमिगत बिछाने के पश्चात 2 वर्षा ऋतुएँ बीत चुकी थीं और इसलिए, गड्ढे में मिट्टी का भर जाना स्वाभाविक था। अतः, गड्ढे के माप में अंतर हो सकता है जो 2 वर्ष पश्चात लिया गया था। यह आगे तर्क दिया गया कि प्रथम निरीक्षण (प्रदर्श पी–10) दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया था और साक्षियों के कथनो के अनुसार निरीक्षण के दौरान दूरसंचार विभाग के वसंत वाल्डे द्वारा लिया गया माप उनके द्वारा एक डायरी में लिखा गया था,परन्तु, अभियोजन पक्ष द्वारा वसंत वाल्डे का परीक्षण विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं कराया गया है और न ही उक्त डायरी, जो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए उक्त माप का प्राथमिक साक्ष्य थी। अतः, निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–10) भी स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादी/सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और व्यक्त किया कि अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उचित रीति से दोषी ठहराया गया है।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा अभियोजन पक्ष के साथ–साथ बचाव पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दोनों समस्त साक्ष्य मौखिक और दस्तावेजी का परिशीलन किया है.

06. अ.सा.–2 एम. कुप्पुस्वामी और अ.सा.–3 हरिहर साहू विभागीय कार्यवाही से संबंधित साक्षी है। अ.सा.–4 एस.एन. पनसे ने भी अपने परीक्षण के पैरा 2 में अपने विभाग की

कार्यवाही के सम्बन्ध में कथन किया है. उपरोक्त तीनो साक्षियों के कथनों को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि भूमिगत केबल बिछाने के लिए एक निविदा जारी की गई थी और अपीलकर्ता 3 और 4 की निविदा स्वीकार कर ली गई थी तथा उन्हें कार्य आदेश जारी किया गया था। आगे यह ज्ञात होता है कि कार्य प्रारम्भ करने पर पर ठेकेदार को एक माप पुस्तिका जारी की गई थी, जिसका वह संधारण करता है और जिसमें वह सुसंगत माप दर्ज करता है। उक्त मापन पुस्तिका में दर्ज माप प्रविष्टियों का निरीक्षण दूरसंचार विभाग के जे. टी. ओ. और एस. डी. ओ. द्वारा किया जाता है। निरीक्षण पश्चात वे प्रविष्टियों का सत्यापन करते हैं और माप पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हैं।तत्पश्चात ठेकेदार उक्त माप पुस्तिका के साथ अपना देयक प्रस्तुत करते है ।तत्पश्चात दूरसंचार विभाग के जे. टी. ओ. और एस. डी. ओ. देयक पर प्रतिहस्ताक्षर करते है। तत्पश्चात अंत में, देयक की जांच की जाती है और उसे पारित किया जाता है और ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार और करार और निविदा की शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता 3 और 4 को 3x1 फुट गड्ढे का खनन करना था, परन्तु यह पाया गया कि जिस गड्ढे का खनन किया गया था वह मात्र 22.68 इंच था। अभियोजन पक्ष का आगे का प्रकरण यह है कि अपीलकर्ता 3 और 4 ने एक कूट रचित माप पुस्तिका तैयार की थी जिसमें यह दर्शित किया गया था कि आवश्यक गड्ढा खोदा गया था और उन कूट रचित प्रविष्टियों को अपीलकर्ता 1 और 2 द्वारा गलत तरीके से सत्यापित किया गया था और उक्त कूटरचित मापन पुस्तिका के आधार पर कूटरचित देयक तैयार किया गया और अपीलार्थी 3 और 4 को भुगतान किया गया। अभियोजन पक्ष का पूरा प्रकरण निरीक्षण पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई दिनांक 13.9.1995 (प्रदर्श पी /10) की रिपोर्ट और दिनांक 13.12.1996 (प्रदर्श पी –11) की निरीक्षण रिपोर्ट और दिनांक 14.12.1996 (प्रदर्श पी 12) का निरीक्षण ज्ञापन, दोनों ही अन्वेषण के दौरान सीबीआई द्वारा तैयार किए गए थे।

9. अ.सा.–4 एस.एन.पनसे ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 7 में कथन किया है कि विभागीय निरीक्षण उनकी उपस्थिति में किया गया था और इसकी निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–10) तैयार की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा यह पाया गया कि केबल को निविदा के विनिर्देश के अनुसार, भूमिगत अर्थात भूमि के नीचे 3x1 फीट के नीचे रखा गया था। इस साक्षी के साथ–साथ निरीक्षण के समय मौजूद अ.सा.– 5 राम सिंह चौहान ने इस तथ्य को

स्वीकार किया कि चूंकि निरीक्षण के समय केबल आरेख उपलब्ध नहीं था, अतः लाइनमैन वसंत वाल्डे द्वारा बताए अनुसार लाइन का खनन किया गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि वसंत वाल्डे ने माप लिया था और उसे एक डायरी में लिखा था और उसकी एक रिपोर्ट (प्रदर्श पी–10) बाद में कार्यालय में तैयार की गई थी। तथापि अभियोजन पक्ष ने वसंत वाल्डे से उन कारणों के लिए पूछताछ नहीं की है जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से पता हैं और न ही वसंत वाल्डे द्वारा लिखी गई उक्त डायरी पेश की है, जिसके आधार पर रिपोर्ट (प्रदर्श पी – 10) बाद में कार्यालय में तैयार की गई थी।

10. अ.सा.– 4 एस. एन. पनसे तथा अ.सा.–5 राम सिंह चौहान के कथनों से यह भी ज्ञात होता है कि केबल आरेख का अर्थ है भूमिगत उपयोग की जाने वाली केबल और एल–14 आरेख का अर्थ है जमीन के ऊपर खंभों पर फैली केबल। अ.सा.–4 एस. एन. पनसे और अ.सा.–5 राम सिंह चौहान ने अपने कथनों में इस तथ्य को स्वीकार किया कि विभागीय जाँच (प्रदर्श पी–10) के समय केबल आरेख (जिसका उपयोग भूमिगत केबल के लिए किया जाता है)उपलब्ध नहीं था। इसके बजाय, एल–14 आरेख उपलब्ध था (जिसका उपयोग जमीन के ऊपर खंभों पर केबल फैलाने के लिए किया जाता है)। इस प्रकार, इन दोनों साक्षियों के उपरोक्त कथनों से, यह स्पष्ट है कि निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 की तैयारी स्वयं एक गलत आरेख (L–14 आरेख) पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सी. बी. आई. द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में, यानी, प्रदर्श पी–11 दिनांक 13.12.1996 और प्रदर्श पी–12 दिनांक 14/12 /1996, अ.सा.–4 एस. एन. पन्से, अ.सा.–8, बी. के. सिंह और अ.सा.– 9 बी. बी. शर्मा वो साक्षी हैं जो सी. बी. आई. द्वारा किए गए निरीक्षण के समय उपस्थित थे। इन सभी साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया कि सी. बी. आई. द्वारा किए गए निरीक्षण के समय भी केबल आरेख उपलब्ध नहीं था और निरीक्षण एल–14 आरेख के आधार पर किया गया था। अ.सा.– 9 बी. बी. शर्मा ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में आगे इस तथ्य को स्वीकार किया कि निरीक्षण दो वर्षा ऋतु के गुजरने के पश्चात किया गया था। आगे पैरा 7 में, उन्होंने यह स्वीकार किया निरीक्षण के समय, अपीलकर्ता 3 और 4 मौके पर मौजूद नहीं थे। अ.सा.–4 एस. एन. पनसे, अ.सा.–5 राम सिंह चौहान, अ.सा.–6 एस. सी. गौरकर और अ.सा.–8 बी. के. सिंह ने भी उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया। अ.सा.–8 बी. के. सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में आगे स्वीकार किया कि अपीलकर्ता 3 और 4 द्वारा केबल बिछाते समय ट्रेंच केबल वायर

इंडिकेटर लगाए गए थे, लेकिन निरीक्षण के समय, मौके पर कोई ट्रेंच केबल इंडिकेटर नहीं पाया गया था। पैरा 11 में, उन्होंने आगे स्वीकार किया कि विभिन्न स्थानों पर गहराई 32 इंच, 31 इंच और 36 इंच पाई गई थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि गड्ढे के अंदर कुछ स्थानों पर तार ऊपर–नीचे था।

12. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य की एक मिनट की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि कार्य आदेश अपीलार्थी 3 और 4 को जारी किया गया था और उक्त कार्य आदेश के अनुसार वर्ष 1994–95 में केबल को भूमिगत रखा गया था और दूरसंचार विभाग द्वारा उन्हें दी गई माप पुस्तिका में प्रविष्टियां की गई थीं और माप पुस्तिका के आधार पर एक देयक तैयार किया गया था, उसे सत्यापित किया गया था और भुगतान के लिए पारित किया गया था। पहला स्थल निरीक्षण दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया था और इसका निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 के माध्यम से तैयार किया गया था। उक्त प्रथम निरीक्षण दिनांक 13.9.1995 को किया गया था। साक्षियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से यह भी ज्ञात होता है कि दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी –10) एल–14 पर आधारित है ना कि केबल आरेख पर । यह भी स्थापित किया गया है कि लाइनमैन वसंत वाल्डे ने माप लिया था और इसकी प्रविष्टियां उनके द्वारा एक डायरी में की गई थीं और बाद में निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी –10) कार्यालय में तैयार की गई थी। लेकिन, न तो वसंत वाल्डे से अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया है और न ही उक्त डायरी को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तथापि जैसा कि अ.सा.–4 एस. एन. पनसे द्वारा स्वीकार किया गया है, विभागीय निरीक्षण के समय, निविदा के अनुसार, गड्ढा मौके पर पाया गया था। यह भी स्थापित किया गया है कि सी. बी. आई. द्वारा किया गया निरीक्षण (प्रदर्श पी –11 दिनांक 13.12.1996 और प्रदर्श पी –12 दिनांक 14.12.1996) केवल एल–14 आरेख पर आधारित था। सी. बी. आई. के निरीक्षण के समय, सी. बी. आई. के पास केबल आरेख उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, यह भी स्थापित किया गया है कि सी. बी. आई. द्वारा लिया गया माप एल–14 आरेख पर आधारित था न कि केबल आरेख पर। इसलिए, सी. बी. आई. द्वारा तैयार की गई निरीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिपोर्ट गलत आरेख पर आधारित थी। इसके अलावा, अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि सी. बी. आई. द्वारा दो वर्षा ऋतु के पश्चात निरीक्षण किया गया था। साक्षियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से यह भी स्थापित होता है कि गड्ढे में मिट्टी का भर जाना स्वाभाविक था। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण तथ्यात्मक सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि ऊपर विवेचना की गई है, एक गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि क्या सभी निरीक्षण (प्रदर्श पी –10, पी –11 और पी 12) ठीक से किए गए थे, क्योंकि उक्त निरीक्षण गलत आरेख के आधार पर किए गए थे। केवल इसी आधार पर अभियोजन पक्ष का पूरा प्रकरण शंकास्पद प्रतीत होता है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

13. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

गोपाल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**